



उत्थान समिति खरीद नीति

सामान्य क्रय एवं विक्रय प्रक्रिया:-

- संस्था के कार्यालय के लिए सुविधा को देखते हुए क्या सामान खरीदना व बेचना है इसे संस्थान के पदाधिकारी व लेखा विभाग तय करेगा।
- किसी भी प्रकार के क्रय अथवा विक्रय के लिए कम से कम तीन सदस्यों की टीम का होना अनिवार्य है।
- कोई भी सम्पत्ति खरीदने के लिए तीन कोटेशन लेना अनिवार्य है।
- किसी भी सामान का क्रय करते समय पांच आर का ध्यान रखना होगा।
- सही मूल्य
- सही गुणवत्ता
- सही संख्या
- सही सुपुर्दगी
- सही सुपुर्दकर्ता
- अगर कोई सम्पत्ति विक्रय किया जाता है तो उसमें निलामी की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
- संस्था स्तर पर परिसम्पत्ति रजिस्टर मेनटेन किया जाना आवश्यक होगा।

कारपस फण्ड:-

- संस्थान में स्थायित्व हेतु कारपस फण्ड का होना अत्यन्त आवश्यक है प्रत्येक साथी का इस दिशा में सक्रिय योगदान अपेक्षित है। परियोजना के सहयोगी से भी यह अपील है कि वे कारपस फण्ड हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण अपनायें जिससे संस्थान एक स्टाफ का स्थायित्व बन सकें। आवश्यकता पड़ने पर संस्था हित में किसी भी नियम पर विचार हो सकता है।

Secretary

दिनांक - 22.05.2023
Utthan Samiti Maharajganj
U. P.

संस्था के सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर